न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण निगरानी 126-I-15

श्री ... द्वारा आज 19-1-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रमेश यादव पुत्र श्री रामकिशोर यादव मृत

विधिक प्रतिनिधि श्रीमती मेवादेवी पत्नी स्व. श्री रमेश यादव

निवासी ग्राम गरैरा तहसील व जिला–दतिया

विरूद्ध

1. नरेन्द्र यादव पुत्र श्री कोमल सिंह यादव

   निवासी ग्राम गरैरा तहसील व जिला–दतिया

2. शिवनन्दन यादव पुत्र श्री मजबूत सिंह यादव

   निवासी संगत विहार आवास विकास कॉलोनी झांसी उ.प्र.

3. दयाल सिंह पुत्र श्री रामकिशोर यादव

   निवासी ग्राम गरैरा तहसील व जिला–दतिया म.प्र.

अपर कलेक्टर जिला–दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 25–11–2014 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के विवादित आदेश अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि आवेदक की पैतृक सम्पति है आवेदक के पिता स्व. रामकिशोर पर अनावेदक–3 ने अनुचित प्रभाव डालकर अनावेदक–2 के हित में भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया जिसे निरस्त किये जाने हेतु आवेदक द्वारा व्यवहारवाद प्रस्तुत होने पर अनावेदक–2 ने अनावेदक–1 के हित में भूमि का अंतरण कर दिया.

3. यह कि, विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु दिये गये आवेदन पर कार्यवाहीं प्रारंभ होते ही आवेदक ने नायब तहसीलदार के समक्ष आंपत्ति प्रस्तुत की एवं कार्यवाहीं में अनावेदक–2 को पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया अनावेदक–2 आवश्यक पक्षकार था क्योंकि

(7)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 126/एक/2015 जिला–दतिया

स्थान दिनांक	रमेश यादव कार्यवाही तथा आदेश नरेन्द्र यादव	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–18	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0 के0 वाजपेई उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री सी0 एम0 गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित हुए। 2/ यह निगरानी अपर कलेक्टर दतिया के प्र0क्र0 33/निग0/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3/ प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 बाजपेई के तर्क श्रवण किये गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया जो निगरानी मेमो में अंकित किए गये है जिन्हें यहां पुनरांकित किए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्को को ही दुहराया गया तथा सिविल न्यायालय के आदेश की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया है कि विवादित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकरण सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त	

करते हुए अनावेदक के पक्ष में निर्णय पारित किए गये है। सिविल न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोंकन करते हुए अनावेदक की ओर से प्रस्तुत सिविल न्यायालय के आदेश की प्रतियों का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायता आवेदन निरस्त कर अमान्य किए गये हैं जो राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी हैं। प्रकरण के संबंध में विस्तृत विवेचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में किए जाने से यहां उसे दुहराया न जाकर उस पर विचार किया गया।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 25.11.14 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसंमत होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों प्रकरण दा0 रिकार्ड हो।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)
सदस्य